"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई 2010—आषाढ़ 24, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्रमांक 9324/160/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-07-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2010)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 16 सन् 2010) है.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 18 का संशोधन.

2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्र. 20 सन् 1987) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 18 में शब्द "उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उन परिनियमों के अनुसार की जायेगी जो इस निमित्त बनाये जाएं" के स्थान पर शब्द "उसकी नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 19 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 19 में शब्द "उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा उन परिनियमों के अनुसार की जायेगी जो इस निमित बनाये जाएं" के स्थान पर शब्द "उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 21 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाय :—
"परन्तु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्वीकृत पद संरचना के ऐसे पद, जो प्रतिनियुक्ति के हैं, राज्य सरकार द्वारा भरे जायेंगे."

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्रमांक 9324/160/21-अ/प्रा./छ. ग./10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2010)

THE INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDHYALAYA (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature, in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (i) This Act may be called the Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (No. 16 of 2010). **Short title, Extent and Commencement.**

   (ii) It extends to the whole of Chhattisgarh.

   (iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In section 18 of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987) (hereinafter referred to as the principal act) for the words "He shall be appointed by the Vice-chancellor with the prior approval of Board in accordance with the statutes to be made in this behalf" the words "He shall be appointed by the State Government", shall be substituted. **Amendment of Section 18.**

3. In section 19 of the Principal Adhiniyam, for the words "He shall be appointed by the Vice-chancellor in accordance with the statutes to be made in this behalf" the words "He shall be appointed by the State Government", shall be substituted. **Amendment of Section 19.**

4. In section 21 of the Principal Adhiniyam, following proviso shall be inserted namely :— **Amendment of Section 21.**
   "provided that such posts which in the sanctioned set-up of Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya are to be filled on deputation will be filled up by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.